माननीय एम.एम कुमार और जियेंद्र चौहान, जे.जे. के समक्ष

रामबती,-याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की संख्या 19006

5 अगस्त 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226–हरियाणा मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2003–हरियाणा मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006–याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु हो गई–याचिकाकर्ता का बेटा वयस्क होने के बाद अनुग्रह राशि के लिए आवेदन कर रहा है नियुक्ति– अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन सी नीति याचिकाकर्ता पर लागू होती है–2003 मृत्यु के समय लागू नियम–क्या ऐसे नियम अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निर्णय लेने में लागू होते हैं–हां, माना गया।

निर्धारित,अनुकंपा नियुक्ति की नीति राज्य का एक कल्याणकारी उपाय है और इन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए एक बहुत ही उदार व्याख्या की आवश्यकता है। राज्य को उस परिवार की पीड़ाओं को दूर करने के लिए बहुत गंभीर प्रयास करना चाहिए, जिसने राज्य की सेवा करते हुए अपने एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। कुछ मामलों में, जैसा कि वर्तमान मामले में भी है कि आश्रितों के पास कोई संपत्ति नहीं होती है और वे हमेशा समाज के सबसे गरीब तबके से आते हैं और ऐसे वर्ग के लोग जो समाज के निम्न आय वर्ग से आते

हैं, वे पात्र हैं। तकनीकी दलीलें देकर और नियमों की बारीकियों का हवाला देकर उन्हें परेशान करने के बजाय बेहतर इलाज दिया जा|

(पैरा 15)

त्रिभुवन दहिया, याचिकाकर्ता के वकील।

उत्तरदाताओं की ओर से हरीश राठी, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा।

जीतेन्द्र चौहान, जे

1. यह आदेश 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 19006 और 19008 का निपटान करेगा क्योंकि दोनों रिट याचिकाओं में शामिल विवाद समान है। हालाँकि, तथ्य 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 19006 से निकाले जा रहे हैं।

2. वर्तमान मामला याचिकाकर्ता-हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल श्री उदय बीयर की विधवा रामबती द्वारा दायर किया गया है, जिनकी 10 जनवरी, 2005 को सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक अपने पीछे याचिकाकर्ता की विधवा, एक बेटी और तीन छोड़ गए हैं। बेटों। मृतक की मृत्यु के समय दो नाबालिग पुत्र मृतक पर आश्रित थे। यहां यह दर्ज करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता और उसके दो बच्चे पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थे और दलीलों के अनुसार, याचिकाकर्ता बेहद गरीब है और उसके पास कोई जमीन या संपत्ति या आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने दोबारा शादी नहीं की है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता ने गांव मलेमा, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न की है।

3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता बेहद गरीब है, उसने अपने एक बेटे दविंदर को अनुग्रह राशि के रूप में नियुक्ति देने के लिए

प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आवेदन किया। आवेदन करते समय, याचिकाकर्ता का बेटा दविंदर वयस्क नहीं हुआ था, क्योंकि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 15 दिसंबर, 1988 दिखाई गई है। चूंकि याचिकाकर्ता का बेटा वयस्क नहीं हुआ था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से 28 मार्च, 2003 को अधिसूचित अनुग्रह योजना यानी हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2003 (संक्षिप्तता के लिए '2003 नियम') के तहत उसके बेटे को नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक पद आरक्षित करने का अनुरोध किया। 2003 के नियमों के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 3 आश्रित को नौकरी या मृतक/आश्रित के परिवार को 2.5 लाख रुपये देने के लिए बाध्य था।

4. रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता का आवेदन प्राप्त होने के बाद उसके बेटे का नाम उत्तरदाताओं द्वारा बनाए गए लघु रजिस्टर में क्रम संख्या 42 पर उसके लिए एक पद आरक्षित रखते हुए दर्ज किया गया था। यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि इस आशय की सूचना प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को भेजी गई थी और उसी की एक प्रति याचिकाकर्ता को पृष्ठांकन संख्या 6417, दिनांक 7 मार्च, 2005 के माध्यम से भेजी गई थी। यह नोट करना और भी प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2 से दिनांक 11 मार्च, 2005 (पी-3) का एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे तीन साल की अवधि के भीतर अपने बेटे की अनुग्रह नियुक्ति के लिए पूरा मामला प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। मृतक की मृत्यु की तारीख.

5. रिट याचिका के पैरा चार में, यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के बेटे ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और इस आशय का प्रमाण पत्र उसके नाम पर 5 मार्च, 2006 को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने और वयस्क होने पर,

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से संपर्क किया और बिना किसी देरी के इन सभी तथ्यों को प्रतिवादियों के ध्यान में लाया। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपने बेटे का मामला प्रस्तुत किया और उत्तरदाताओं से 2003 के नियमों के अनुसार अनुग्रह नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार करने का अनुरोध किया। चूंकि याचिकाकर्ता के बेटे ने अनुग्रह नियुक्ति के नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तों को पूरा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीच, सरकार ने 18 नवंबर, 2005 से नए नियमों को अधिसूचित कर दिया, जिन्हें हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2005 के रूप में जाना जाता है।

6. याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं से मिलता रहा हालांकि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उत्तरदाताओं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामला उनके पास लंबित रहा। 5 मार्च, 2007 को प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि अब 2006 नियम (हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006) लागू हो गए हैं जिनमें देने का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार और उसे निर्देश दिया गया कि वह 2.6 लाख रुपये की अनुकंपा सहायता या 12 साल के वेतन का विकल्प चुने। याचिकाकर्ता 5 मार्च, 2007 को यह संचार प्राप्त करके हैरान रह गया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-6 के रूप में चिह्नित एक और अभ्यावेदन भेजा, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि याचिकाकर्ता के पति की जनवरी 2003 में मृत्यु हो गई और उस समय, अनुग्रह योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 2003 के नियम लागू थे। नए नियम 2006 1 अगस्त, 2006 से लागू हो गए हैं और याचिकाकर्ता के मामले पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। प्रतिवादी संख्या

3 ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में नियमावली 2003 के प्रावधानों का अवलोकन करना प्रासंगिक है। निय के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

4. (1) मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के आश्रित को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 3 साल के भीतर, निम्नलिखित में से किसी एक के लिए, विकल्प की अपनी प्राथमिकता लिखित रूप में देनी होगी:

(ए) परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति, जो मृतक कर्मचारी पर "पूरी तरह से निर्भर" था और मृतक के नुकसान के कारण अत्यधिक वित्तीय संकट में है, अर्थात् सरकारी कर्मचारी जो "सेवा के दौरान मर जाता है"|

(बी) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान वित्तीय सहायता, उसके परिवार को देय अनुग्रह अनुदान जैसे अन्य सभी लाभों के अलावा, मृतक के परिवार द्वारा विकल्प नहीं चुनने की स्थिति में 2.5 लाख की दर से भुगतान किया जाएगा। अनुग्रहपूर्वक रोजगार के लिए|

(2) राय के प्रयोग के विकल्प की अनुमति केवल एक बार दी जाएगी और एक बार प्रयोग करने के बाद इसे बदला नहीं जाएगा।

5. मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति या अनुग्रह राशि के साथ

आवेशपूर्ण वित्तीय सहायता, जैसा भी मामला हो, के लिए फॉर्म "बी" के फॉर्म "ए" में आवेदन करना होगा।

6 (1) संबंधित विभाग का प्रमुख, जहां मृतक/लापता व्यक्ति कार्यरत था, मृतक/लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार के पूर्णतः आश्रित निर्धन सदस्य को नियुक्ति देने/अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम है।

(ए) विभागाध्यक्ष ऐसे विभागों की एक सूची तैयार करेगा जो कुछ अवधि के लिए वैध होगी 3 वर्ष और नियुक्तियाँ विभाग द्वारा सख्ती से बनाए रखी गई वरिष्ठता के अनुसार दी जाएंगी।

(बी) सूची की वैधता 3 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी|

(सी) मृत सरकारी कर्मचारी का आश्रित इन नियमों के नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (बी) में निहित विकल्प के संबंध में वैधता की समाप्ति के बाद एक महीने की अवधि के भीतर अपनी प्राथमिकता का उपयोग कर सकता है। यदि विभाग में अनुग्रह राशि के लिए कोई पद मौजूद नहीं है तो विभाग द्वारा तैयार की गई सूची।

(2) लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार के पूर्णतः आश्रित निर्धन सदस्यों को अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति/आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव होंगे।

7. याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कथनों का खंडन करने के लिए उत्तरदाताओं ने वर्तमान रिट याचिका पर एक विस्तृत उत्तर दायर किया। हालांकि उत्तरदाताओं ने तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं किया है और याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त पैरा में याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए सभी तथ्यों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता को राहत न देने का एकमात्र कारण, जैसा कि लिखित बयान में बताया गया है, यह है कि अंतराल अवधि के दौरान हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006 के रूप में जाने जाने वाले नए नियम अस्तित्व में आए और इस संबंध में अधिसूचना सभी संबंधितों को पत्र दिनांक 3 अगस्त, 2006 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी की गई थी। इन नियमों में, क्रम संख्या 6 पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि:

> "अनुग्रह सहायता के सभी लंबित मामले नए नियमों के तहत कवर किए जाएंगे। ऐसे मामलों में अवधि और भुगतान की गणना इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से की जाएगी। हालाँकि, परिवारों के पास हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006 के तहत प्रदान की जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता के बदले, नियम, 2003 या 2005 में प्रदान की गई एकमुश्त अनुग्रह अनुदान का विकल्प चुनने का विकल्प होगा।

8. उत्तरदाताओं ने आगे विवरण दिया है कि याचिकाकर्ता को नए नियमों से कैसे अवगत कराया गया और याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार

करने में असमर्थता दिखाई गई और इसके अलावा 11 अक्टूबर, 2006 को एक पत्र प्रतिवादी संख्या द्वारा याचिकाकर्ता को भेजा गया। 3 जिसमें याचिकाकर्ता को रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए 20 अक्टूबर 2006 तक अपना विकल्प प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया था। अनुकंपा वित्त सहायता के रूप में 2.5 लाख या 12 साल का वेतन। लिखित बयान की प्रारंभिक आपत्तियों में यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने पत्र अपने पास रख लिया, लेकिन पत्र की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में पत्र की कार्यालय प्रति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और उसके बाद 10 नवंबर, 2006 को एक और पत्र भेजा गया। याचिकाकर्ता को उन्हीं शर्तों का उल्लेख किया गया लेकिन याचिकाकर्ता ने उस पत्र को भी प्राप्त करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, लिखित बयान के अनुसार पत्र श्री अतर सिंह द्वारा प्राप्त किया गया था, जो मृतक का भाई बताया गया है। लिखित बयान के अनुसार, 5 मार्च, 2007 को एक अन्य पत्र भी याचिकाकर्ता को उसी संस्करण को दोहराते हुए भेजा गया था और याचिकाकर्ता को उस संबंध में अपना विकल्प प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया था। लिखित बयान में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं द्वारा उसे संबोधित संचार का जवाब दिए बिना वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस माननीय अदालत से संपर्क किया है और याचिकाकर्ता अपने बेटे को सेवा में नियुक्त करने के लिए पात्र/हकदार नहीं है और इसलिए वर्तमान में याचिका खारिज किये जाने योग्य है|

9. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

10. ऊपर वर्णित परिस्थितियों में, यह प्रश्न कि याचिकाकर्ता के मामले में कौन सी नीति लागू है, सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर लेता है। माना जाता है कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 10 जनवरी, 2005 को हो गई। याचिकाकर्ता के बेटे ने वयस्क होने के बाद दिसंबर, 2006 में अनुग्रह नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जैसा कि याचिका के पैरा 5 में कहा गया है। विचारणीय प्रश्न यह है कि याचिकाकर्ता के मामले में अनुकंपा नियुक्ति की कौन सी नीति लागू होगी? क्या याचिकाकर्ता के मामले पर प्रयोज्यता की तारीख निर्णायक है और वर्तमान प्रस्ताव के उचित निर्णय के लिए इसे तय करने की आवश्यकता है।

11. इसी तरह की स्थिति अभिषेक कुमार बनाम हरियाणा राज्य (1) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हुई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 5 में इस प्रकार उल्लेख किया था:-

> "अपीलकर्ता ने उस समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी जब 2003 के नियम अस्तित्व में नहीं थे। इसलिए, उनके मामले पर उन नियमों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक था जो वर्ष 2001 में अस्तित्व में थे। जाहिर है, हरियाणा राज्य में एक राज्य-वार सूची रखी जाती है। हरियाणा राज्य द्वारा रखी गई उक्त सूची के अनुसार, अपीलकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार था। उन्हें राज्य द्वारा ऐसी नियुक्ति की पेशकश की गई थी। यह जिला मजिस्ट्रेट थे जो रास्ते में आए और पद प्रदान करने से इनकार कर दिया।

12. जय राम बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और

अन्य (2) में, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया है:

"हम विद्वान वकील की दलीलों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। उत्तरदाताओं को अपनी ग़लती का फ़ायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता 24 अगस्त, 2002 को अपने पिता की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने के लिए पात्र हो गया था। आवश्यक आवेदन 3 सितंबर, 2002 को किया गया था (अनुलग्नक पी-1)। इसकी विधिवत अनुशंसा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भी की गयी थी. इसका कोई औचित्य नहीं था कि याचिकाकर्ता को कम समय के भीतर नियुक्त क्यों नहीं किया जा सका। अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य उस परिवार को सहायता प्रदान करना है जिसके एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो गई हो।

13. इसी तरह का विवाद इस न्यायालय द्वारा 2006 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6061 में भी तय किया गया था, जिसका शीर्षक नीरज मलिक बनाम हरियाणा राज्य और अन्य था, जिसका फैसला 18 अगस्त, 2006 को हुआ था और इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है: -

"जब याचिकाकर्ता ने पहले इस न्यायालय से संपर्क किया था, तो प्रतिवादियों को जय राम के मामले (सुप्रा) के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश जारी किया गया था। हम परिवहन आयुक्त द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की निंदा करते हैं, जिन्होंने 4 अप्रैल, 2006 (अनुलग्नक पी-13) के विवादित आदेश पारित करते समय जय राम के मामले (सुप्रा) (अनुलग्नक पी-10) में निर्णय के अनुपात का उल्लंघन किया है। यह अज्ञानता को नकारता है. 4 अप्रैल, 2006 के आदेश (अनुलग्नक पी-13) का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या

2 ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को नजरअंदाज करने और बचने की कोशिश की है और जय राम के मामले में निर्धारित कानून को दरकिनार करने का प्रयास किया है। केस (सुप्रा): प्रतिवादी नंबर 2 ने 2003 के नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर फिर से विचार किया है। जय राम के मामले में फैसले के अनुपात को समझने के बजाय, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता का मामला 1995 के निर्देशों द्वारा शासित होगा, प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता के मामले में तथ्यों की तुलना के विवाद में प्रवेश किया है। और तुलनात्मक तालिका तैयार करते समय जय राम के मामले की। 4 अप्रैल, 2006 के आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार है: -

...आवेदक का मामला नए नियम लागू होने तक प्रतीक्षा सूची में रखा गया। 31 मार्च 2003 को नए नियम लागू होने के बाद जैसे ही आदेश प्राप्त हुए कि सभी लंबित प्रकरणों का निर्णय भी नए नियमों के अनुसार किया जाएगा, हमने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक का नाम हटाकर उसका प्रकरण महाप्रबंधक को वापस कर दिया। प्रतीक्षा सूची और महाप्रबंधक को आवेदक को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया क्योंकि नए नियमों के अनुसार प्रतीक्षा सूची कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से केवल 3 वर्ष तक ही जीवित रहेगी।

उपरोक्त टिप्पणियाँ न्यायिक आदेशों की व्याख्या की समझ की कमी और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के प्रयास को दर्शाती हैं। यह आश्चर्य की बात है कि प्रतिवादी नंबर 2 अनुकंपा नियुक्ति के

लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने के लिए 2003 के नियमों के प्रावधानों को कैसे लागू कर सकता है, जबकि जय राम के मामले (सुप्रा) ने विशेष रूप से उत्तरदाताओं को 2003 के नियमों के तहत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने से रोक दिया था। उपर्युक्त कारणों से 4 अप्रैल, 2006 के आक्षेपित आदेश को अवैध माना जाता है और यह जय राम के मामले में फैसले के साथ-साथ श्रीमती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपात के विपरीत है। सुषमा गोसाईं और अन्य (सुप्रा)। इस प्रकार, हमने उसे अलग रख दिया। रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादियों को फिर से निर्देशित किया जाता है कि वे निर्देश अनुलग्नक पी-2 और पी-3 के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें जैसा कि न्यायालय जय राम के मामले (सुप्रा) द्वारा माना गया है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता लागत का भी हकदार होगा क्योंकि उसे इस याचिका को दायर करने के लिए अनावश्यक रूप से घसीटा गया है, जिसकी मात्रा हम 10,000 रुपये मानते हैं।

14. इसी प्रश्न का उत्तर 2007 के सीडब्ल्यूपी संख्या 6890 में दिया गया था जिसका शीर्षक था (ललिता शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, निर्णय 11 जुलाई, 2007 को लिया गया) इस न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति की योजना के तहत दावेदारों पर योजना/नीति/नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में बहुत विशिष्ट और निश्चित मुद्दे तैयार किए हैं। डिवीजन बेंच ने नीचे उल्लिखित प्रश्न तैयार किए:

"(ए) मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए कौन सी नीति लागू है, क्या मृतक की मृत्यु के समय प्रचलित नीति या अनुग्रह रोजगार अनुदान के मामले का निर्णय लेने के समय प्रचलित नीति?

(बी) क्या उपरोक्त रिट याचिकाओं में शामिल वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण आश्रित अनुग्रह रोजगार के हकदार हैं?

(सी) क्या याचिकाकर्ताओं यानी मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को 2003, 2005 और 2006 की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता देने का मामला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण बनता है।

15. इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने न्यायनिर्णयन के तहत प्रकृति के मामलों में एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है और विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि मृतक की मृत्यु के समय के रूप में लागू नीति अनुकम्पा नियुक्ति मामलों के निर्णय में लागू होगी। अनुकंपा नियुक्ति की नीति राज्य का कल्याणकारी उपाय है और इन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए बहुत उदार व्याख्या की आवश्यकता है। राज्य को उस परिवार की पीड़ाओं को दूर करने के लिए बहुत गंभीर प्रयास करना चाहिए जिसने राज्य की सेवा करते हुए अपने एकमात्र कमाने वाले को खो दिया। कुछ मामलों में, हमने देखा है, जैसा कि वर्तमान मामले में भी है कि आश्रितों के पास कोई संपत्ति नहीं होती है और वे हमेशा समाज के सबसे गरीब तबके और ऐसे लोगों के वर्ग से आते हैं जो निम्न आय वर्ग से आते हैं। समाज के लोग शोक संतप्त परिवारों के दर्द को महसूस किए बिना, तकनीकी दलीलें उठाकर और नियमों की बारीकियों का हवाला देकर, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के

विरोधाभासी हैं, उन्हें परेशान करने के बजाय बेहतर उपचार दिए जाने के हकदार हैं। उस संदर्भ में, हम सचिव, एच.एस.ई.बी. के मामले में निर्णय का संदर्भ देने के इच्छुक हैं। बनाम सुरेश (3), उनके आधिपत्य ने माना कि न्यायालय को न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स (4) के मामले में हमें कानूनों की व्याख्या के संदर्भ में मार्गदर्शन मिलता है कि सामाजिक कल्याण कानून की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। उस संदर्भ में उनके आधिपत्य ने देखा है कि श्रमिकों और गरीब वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने वाले ऐसे सामाजिक कल्याण कानून के प्रावधानों को निजी या सामान्य कानूनों के नहीं बल्कि सार्वजनिक कानून सिद्धांतों के आलोक में माना जाना चाहिए। जहां तक सामाजिक कानून बनाने के पीछे के दर्शन का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सामाजिक कानून मुख्य रूप से समाज के एक विशेष वर्ग के कल्याण के लिए होते हैं और उन्हें उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर जनता के हितों को आगे बढ़ाया जा सके।

16. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों के आलोक में, हमें नहीं लगता कि उत्तरदाताओं का तर्क उचित है।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है और परिशिष्ट पी-5 को रद्द किया जाता है और उत्तरदाताओं को वर्ष 2003 में प्रचलित नियमों के तहत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

आर.एन.आर.

(1) (2007) 3 एसएलआर 837

(2) 2004(5) एसएलआर 851 (डीबी)

(3) 1993 (3) एससीसी 601

(4) 2001(7) एससीसी 1

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy